न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 50/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

—

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरिश जाजू पुत्र सत्यनारायण जाजू मालिक / विक्रेता मैसर्स – वाटर फूड्स रिटेल शॉप, चित्तौड़ वालों की हवेली, भोपालगंज, भीलवाडा, स्थाई पता – सुबह की सब्जी मण्डी पेच एरिया, भीलवाडा
2. श्रीमती अंशु जैन पत्नी रवि जैन मालिक , मैसर्स श्री एजेन्सी 61 डी, एक्टेशन बी.टी.एम. पुर रोड, भीलवाडा , स्थाई पता – मकान सं. 165 मेन सैक्टर, शास्त्रीनगर, भीलवाडा
3. श्री महेश कुमार चांडक पुत्र श्री भंवर लाल चांडक मालिक मैसर्स – Amer Jyoti Food Products Near Railway Station Banar, Jodhpur. 342001, स्थाई पता – गिल्लकोर पिलवा शेरगढ़ , गिलकोर जोधपुर 342309

––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार

2 श्री संदीप जैन अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

3 श्री नानू लाल तेली अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 की ओर से

आदेश

दिनांक 18.11.2020

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी श्री हरिश जाजू पुत्र सत्यनारायण जाजू मालिक / विक्रेता मैसर्स – वाटर फूड्स रिटेल शॉप, चित्तौड़ वालों की हवेली, भोपालगंज,

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)

भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु संयुक्त बाधांनी हींग व अन्य किराणा सामान इत्यादि का विकय कर रहा था। विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् अन्य खाद्य सामग्री के साथ संयुक्त बाधांनी हींग ब्राण्ड महाराजा के 250 – 250 ग्राम के 10 प्लास्टिक पैक रखे हुये थे । एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Brand – Maharaja Compound Asafoetida, Batch No. A 4, Date of Mfg / Packed On – Jan. 2016. Net Weight – 250 gm. BEST BEFORE 18TH MONTH FROM PACKING, Mfg. Place By- Amer Jyoti Food Products, Jaipur Road, Banar, Jodhpur-342027 (Raj.) अंकित था । मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 ए की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.07.2016 को समय 3.10 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु श्री हरिश जाजू पुत्र सत्यनारायण जाजू मालिक / विक्रेता मैसर्स – वाटर फूड्स रिटेल शॉप, चित्तौड़ वालों की हवेली, भोपालगंज, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया । उस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मैनेजर की हैसियत श्री हरिश जाजू पुत्र सत्यनारायण जाजू मालिक / विक्रेता मैसर्स – वाटर फूड्स रिटेल शॉप, चित्तौड़ वालों की हवेली, भोपालगंज, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु संयुक्त बाधांनी हींग व अन्य किराणा सामान इत्यादि का विक्रय कर रहा था। विक्रेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई। विकता द्वारा खाद्य लाईसेंस की प्रति पेश की गई । मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ संयुक्त बाधांनी हींग ब्राण्ड महाराजा के Batch No. A 4 के 250 – 250 ग्राम के 4 पैकेट खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत् 1400/– रूपये अक्षरे एक हजार चार सौ रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)

इन खरीदशुदा चारों पैकिटों को गवाहों एवं विक्रेता के सामने चार साफ सुखे, खाली चौडे मुंह के कन्टेनरों में रखकर ढक्कन लगाकर बंद किया । प्रत्येक नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–148 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–148 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा डॉ.जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैंनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मैनेजर श्री हरिश जाजू पुत्र सत्यनारायण जाजू के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये । सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य नमूना सं. एक्स 148 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैंनें नमूना लेते समय काम मे ली थी । एक आउटर कवर में बंद कर , नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री बाबूलाल पायक, च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा दिनांक 22.07.2016 को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला , अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई ।

खाद्य विश्लेषक , खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./423/Act/2016/473 दिनांक 04.08.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स – 148 संयुक्त बाधांनी हींग ब्राण्ड महाराजा सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री हरिश जाजू पुत्र सत्यनारायण जाजू मालिक / विक्रेता मैसर्स – वाटर फूड्स रिटेल शॉप, चित्तौड़ वालों की हवेली, भोपालगंज, भीलवाडा द्वारा सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड संयुक्त बाधांनी हींग ब्राण्ड महाराजा का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 13.06.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 19.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 27.07.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गयी।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि List of Ingredients – Edible gum, Edible oil, Wheat flour Asafoetida given on the label but the approximate composition of edible starch or edible cereal flour used in the compound not indicate on the label of sample. Contravention of Regulation No. 2.4.5(15) of food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011. Mfr / Pkr. के नाम व पते पर Amer Jyoti Food Products, Jaipur Road, Banar, Jodhpur-342027 (Raj.) अंकित हैं, पूरा पता नही दिया गया हैं। लिये गये खाद्य नमूने एक्स–148 में Alcoholic extract (with 90% alcohol) as estimated by the U.S.P. 1936 method 4.59% पाया गया , जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत यह मात्रा 5.0% से कम नही होना चाहिये । विक्रेता फर्म ने Food Sefety and Standarded (Packaging & lebeling) Regulatiojn, 2011 a के रूल्स 2.2.2 (B) 2.2.2 (F) 2.2.2.(3) का उल्लघंन किया है एवं सबस्टेण्डर्ड संयुक्त बाधांनी हींग ब्राण्ड महाराजा का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। इसलिए लिया गया नमूना सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड संयुक्त बाधांनी हींग ब्राण्ड महाराजा का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है । जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोगकर्ता बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है, न ही अभियोग पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को साबित कराया हैं, न ही दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया है। जिससे अभियुक्तगण के विरूद्व अभियोगपत्र में वर्णित तथ्य साबित नही होते है एवं न ही दस्तावेज को सक्षम साक्ष्य से. साबित कराया हैं। इस कारण अभियुक्तगण दोषमुक्त होने के हकदार हैं, क्योंकि अभियोगकर्ता ने मामले में अपनी इनिशियल बर्डन ऑफ प्रुफ को साबित नही कराया हैं। इस कारण प्रस्तुत अभियोगपत्र काबिल निरस्ती के हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर नमूने की कार्यवाही अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नही किया हैं। न ही विधि सम्मत पंचनामा तैयार किया हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा खाद्य नमूना संख्या एक्स 148 की जांच/विश्लेषण रिपोर्ट अभियुक्त संख्या 01 व 2 को प्राप्त नही हुआ हैं जिससे लिये गये नमूने की दुबारा जांच नहीं करा पाया तथा अपने महत्वपूर्ण विधिक अधिकार से वंचित हो गया। खाद्य विश्लेषक को नमूना प्राप्त होने तक वह उसी स्थिति में था ऐसा अभियोजन पक्ष ने साबित नही कराया। उक्त प्रकरण में बांधानी हींग अभियुक्त संख्या 3 द्वारा उत्पादित हैं, यदि अभियुक्त संख्या 3 द्वारा उत्पादित हींग मिस ब्राण्डेड हैं तो इसके लिए अभियुक्त संख्या 3 की जिम्मेदारी हैं, अभियुक्त संख्या 01 व 02 की नहीं। प्रकरण में लिया गया नमूना सीलबन्द पैकेट मे था जिससे सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति इसके बार में अनुमान नहीं लगा सकता हैं। अभियुक्तगण संख्या 01 व 02 ने जानबूझकर कोई अपराध कारित नहीं किया हैं। उक्त अधिनियम के संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पारित किया कि – " सीआरएलआर 2014(4) राजस्थान 1933 – जन विश्लेषक की रिपोर्ट उचित पते पर नही भेजी– आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं – पोस्टल रसीद पर अभियुक्त का पूर्ण पता नहीं – रजिस्टर्ड पत्र अभियुक्त को वितरित हुआ, अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया हैं, अभियुक्तगण दोषमुक्ति के हकदार हैं। सीआरएलआर 2014(2) राजस्थान 1041 एफएसएल रिपोर्ट की कॉपी अभियुक्त को नहीं भेजी, आज्ञापक प्रावधान की अपालना अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार हैं। अतः निवेदन हैं कि अभियोगपत्र के तथ्यों के ठोस प्रमाणिकता के अभाव में व विधिक प्रावधानों की पालना के बिन्दुओं को साबित नहीं किये जाने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)

पारित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में प्रार्थी अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 अनुसार कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक एवं मिथ्याछाप की हैं, मानव उपभोग के लिए, विकय हेतु विनिर्माण एवं भंडारण करता हैं या विकय या वितरण या आयात करता हैं, शास्ति का दायी होगा। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने वाले प्रपत्र एवं मौका फर्द पर विपक्षी संख्या 01 ने स्वयं हस्ताक्षर किये है। खाद्य नमूना एक्स 148 की रिपोर्ट विपक्षी संख्या 01 को जरिये रजिस्टर्ड डाक (जिनकी डाक रसीद संलग्न हैं) प्रेषित की गयी।**

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./ 423/Act/2016/473 दिनांक 04.08.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स–148 संयुक्त बाधांनी हींग ब्राण्ड महाराजा सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि List of Ingredients – Edible gum, Edible oil, Wheat flour Asafoetida given on the label but the approximate composition of edible starch or edible cereal flour used in the compound not indicate on the label of sample. Contravention of Regulation No. 2.4.5(15) of food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011. Mfr / Pkr. के नाम व पते पर Amer Jyoti Food Products, Jaipur Road, Banar, Jodhpur-342027 (Raj.) अंकित हैं, पूरा पता नही दिया गया हैं। लिये गये खाद्य नमूने एक्स–148 में Alcoholic extract (with 90% alcohol) as estimated by the U.S.P. 1936 method 4.59% पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत यह मात्रा 5.0% से कम नही होना चाहिये । विकेता फर्म ने Food Sefety and Standarded (Packaging & lebeling) Regulatiojn, 2011 a के रूल्स 2.2.2 (B) 2.2.2 (F) 2.2.2.(3) का उल्लघंन किया है एवं सबस्टेण्डर्ड संयुक्त बाधांनी हींग ब्राण्ड महाराजा का विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 एवं 52 मे निर्धारित है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 द्वारा **सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड** संयुक्त बाधांनी

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

हींग ब्राण्ड महाराजा का निर्माण एवं विक्रय करने से खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 01 पर 5,000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये), विपक्षी सं. 02 पर 5,000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये), विपक्षी सं. 03 पर 1,50,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री हरिश जाजू पुत्र सत्यनारायण जाजू मालिक / विक्रेता मैसर्स – वाटर फूड्स रिटेल शॉप, चित्तौड़ वालों की हवेली, भोपालगंज, भीलवाडा, स्थाई पता – सुबह की सब्जी मण्डी पेच एरिया, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
5. श्रीमती अंशु जैन पत्नी रवि जैन मालिक , मैसर्स श्री एजेन्सी 61 डी. एक्टेशन बी.टी.एम. पुर रोड, भीलवाडा, स्थाई पता – मकान सं. 165 मेन सैक्टर, शास्त्रीनगर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।
6. श्री महेश कुमार चांडक पुत्र श्री भंवर लाल चांडक मालिक मैसर्स – Amer Jyoti Food Products Near Railway Station Banar, Jodhpur. 342001, स्थाई पता – गिल्लकोर पिलवा शेरगढ़ , गिलकोर जोधपुर 342309 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

अति. जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)